



2026:AHC:68149

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या- 2988 वर्ष 2026

कुसुम देवी अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: कन्हैया लाल तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 53

माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद

1. अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना। अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. चुनौती के तहत विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), बस्ती द्वारा वारंट समन आपराधिक मामला संख्या-3 वर्ष 2025 (कुसुम देवी बनाम नंदलाल और अन्य) में बी.एन.एस.एस., थाना-पैकोलिया, जिला बस्ती की धारा 173(4) के तहत पारित आक्षेपित आदेश है।
3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने 30.10.2024 को पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, बस्ती को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि वह बस्ती के थाना-पैकोलिया के ग्राम पिकौरा निवासी रामजीत धोबी की पत्नी है और अनुसूचित जाति (धोबी समुदाय) से संबंधित है। आरोप है कि 15.10.2024 को शाम करीब 6:00 बजे वह गाय का गोबर फेंकने के लिए गांव के पूर्वी हिस्से में स्थित अपने खेत की ओर जा रही थी। उस समय छेदी के पुत्र नंदलाल कोहाड़ और उसी गांव के निवासी धीरेंद्र सिंह के पुत्र उपेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह भी अपने-अपने खेतों में गोबर डालकर लौट रहे थे। अपने खेत में गोबर डालने के बाद अपीलकर्ता अपने घर की ओर लौटने लगी। इस बीच, उपरोक्त व्यक्तियों ने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को फील्ड बाउंड्री (सीवान) पर अकेले देखा और लंबित मुकदमेबाजी से उत्पन्न पिछली दुश्मनी के कारण, उसे धोबी समुदाय की एक गरीब महिला मानते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने और गलत कार्य करने के इरादे से उसे पकड़ लिया।

4. आगे यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसके स्तनों सहित उसके निजी अंगों को दबाना शुरू कर दिया और उसका ब्लाउज फाड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती उजागर हो गई। इसके बाद, उन्होंने अपीलकर्ता को जमीन पर फेंक दिया। अपीलकर्ता ने उनके गलत इरादे को भांपते हुए विरोध किया और शोर मचाया। यह भी आरोप लगाया गया है कि लोगों को पास से गुजरते हुए देखकर आरोपी व्यक्तियों ने अपीलकर्ता को खेत में अस्त-व्यस्त हालत में छोड़ दिया। जाने से पहले, अपने गलत इरादे में सफल न होने से नाराज होकर, उन्होंने अपीलकर्ता पर लात, मुक्का मारकर और थप्पड़ मारकर हमला किया। इसके बाद यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गंदी जाति-आधारित और अश्लील गालियां दीं और मौके से भाग गए। जाते समय, उन्होंने आगे धमकी दी कि यद्यपि वे उस दिन उसका पूरी तरह से अपमान नहीं कर पाए थे, लेकिन वे गलत कार्य किए बिना या उसका अपमान किए बिना उसे नहीं छोड़ेंगे, और उसे चुनौती दी कि वह उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज कर सकती है।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, बस्ती के समक्ष दायर किए गए आवेदन के बावजूद, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। नतीजतन, अपीलकर्ता ने द०प्र०स० की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने तथ्यों को दोहराया गया; हालांकि, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इसकी उचित मूल्यांकन नहीं की।

6. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है। संबंधित अदालत ने संबंधित थाना से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता और प्रतिपक्षियों के बीच भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है, जो दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने कोई सहायक चिकित्सा दस्तावेज या चोट रिपोर्ट दर्ज नहीं की, या तो एस.पी., बस्ती को अपने प्रारंभिक आवेदन



के साथ, या धारा 173(4) द०प्र०स० के तहत आवेदन के साथ। इसलिए, आपराधिक अपील खारिज की जा सकती है।

7. अभिलेखों के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, धारा 173(4) द०प्र०स० के तहत आवेदन एक शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के साथ-साथ उसके पति के बयान दर्ज किए गए और गवाह शकुंतला का बयान भी दर्ज किया गया।

8. अपीलकर्ता न तो नाबालिग है और न ही युवा व्यक्ति है; बल्कि, वह एक परिपक्व महिला है। उसके अपने बयान के अनुसार, उसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, जबकि आरोपी नंदलाल कोहाड़ और उपेंद्र सिंह @ छोटे सिंह की उम्र क्रमशः लगभग 56 वर्ष और 23 वर्ष बताई गई है। अपीलकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सहायक चिकित्सा साक्ष्य दायर नहीं किया।

9. विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से सभी अभिलेखों और रिपोर्टों के अवलोकन के बाद कहा कि अपीलकर्ता का आवेदन एक नागरिक विवाद से उत्पन्न झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। आगे यह देखा गया कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने पहले ही प्रतिपक्षियों की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। एस.डी.एम., औरैया की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह का अतिक्रमण राजस्व अधिकारियों द्वारा माप के बाद अभिलेखों में परिलक्षित होता है।

10. शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता के पति ने पहले ही सिविल सूट संख्या-313 वर्ष 2024 (मेघनाथ और अन्य बनाम धीरेंद्र सिंह) दायर कर दिया है, जो दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, जब नंदलाल ने जमीन खरीदी और चारदीवारी का निर्माण शुरू किया, तो पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया, जिसे संबंधित थाना-के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया। प्रतिपक्षी संख्या-2 की बेटी ने अपीलकर्ता, उसके पति और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 452, 354 भ०द०वि० के तहत मामला भी दर्ज कराया है, जिसमें उन्हें समन किया गया है। अपीलकर्ता ने एक शिकायत भी दर्ज की है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-1175 वर्ष 2023 के रूप में पंजीकृत किया गया है।



11. इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ने पहले अपने कथित अतिक्रमण की रक्षा के लिए प्रतिपक्षियों के खिलाफ कई मामले दायर किए थे, और वर्तमान शिकायत उस मुकदमेबाजी की निरंतरता में दायर की गई प्रतीत होती है। पक्षों के बीच गंभीर दुश्मनी है, और विचाराधीन भूमि के संबंध में विवाद बना हुआ है। उनके बीच दीवानी मुकदमे के साथ-साथ आपराधिक मामले भी लंबित हैं।

12. मामला अजीब है, क्योंकि शिकायतकर्ता की आयु लगभग 37 वर्ष है, जबकि आरोपी व्यक्तियों की आयु क्रमशः लगभग 56 वर्ष और 23 वर्ष है। अभिलेखों पर कोई सहायक चिकित्सा साक्ष्य नहीं है।

13. यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुजॉय घोष बनाम झारखंड राज्य और अन्य, 2026 आई.एन.एस.सी. 267** में प्रस्तर-13 और 14 में रिपोर्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:

"13. एक आपराधिक मामले में एक अभियुक्त को बुलाने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों, साथ ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मापदंड, अच्छी तरह से तय हैं। एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को बुलाना एक गंभीर मामला है, और आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को आपराधिक कानून को गति देने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो गवाहों को लाना होगा। अभियुक्त को बुलाने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून के प्रति दिमाग के आवेदन को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को अभिलेखों पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया बनाया गया है। मजिस्ट्रेट स्वयं भी शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए सवाल पूछ सकता है या अन्यथा, और फिर जांच कर सकता है कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या किसी भी अभियुक्त द्वारा किया गया है। (देखें: पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य, (1998) 5 एस.सी.सी. 749; विकास



चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.

1534)

14. जब कोई अभियुक्त इस आधार पर प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ, कष्टप्रद या दुर्भावनापूर्ण है, तो न्यायालय इस मामले की अधिक सावधानी से जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। न्यायालय के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह केवल प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथनों को देखे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं। तुच्छ या कष्टप्रद कार्यवाही में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के अभिलेखों से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों को देखे, बयानों के अलावा, और, यदि आवश्यक हो, तो उचित देखभाल और सावधानी के साथ, और पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, न्यायालय को खुद को केवल मामले के चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के लिए समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखने का अधिकार है। (देखें: मो. वाजिद और अन्य वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2023) 20 एस.सी.सी. 219)।

14. तदनुसार, उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और ऊपर निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता, अनियमितता या विकृति से ग्रस्त नहीं है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया हो।

15. आपराधिक अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।

मार्च 31, 2026

एम. तारिक

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)